न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगोद जिला कोटा (राज0)

जयदीप सिंह आयु 71 वर्ष पुत्र स्व. श्री जुझार सिंह जाति राजपूत निवासी कुराडियाकलां तहसील सांगोद हाल निवासी पुराना खजाना नयापुरा कोटा (राज0)

प्रार्थी

वनाम

1. दीप सिंह आयु 63 वर्ष पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी कुराडियाकलां तहसील सांगोद हाल निवासी राज. भवन लेन सिविल लाईन कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामा

1/1 करण वीर सिंह पुन दीपसिंह आयु 35 साल जाति राजपूत निवासी कुराडियाकलां तहसील सांगोद हॉल निवासी राजभवन लेन सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसील सांगोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (क)
राजस्थान रेनेन्सी एक्ट

उपस्थित 1. महेष कुमार तिवारी वकील प्रार्थी
2. सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वकील अप्रार्थी कम 1

–:: निर्णय ::–

21.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुराडिया कलां व ग्राम कुन्दनपुर में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

के खाते की ख. नं. 211 की 6.72 ख.न. 212 की 2.00 है0 ख.न. 215 की 0.05 है ख.न. 216 की 0.15 है0 ख.न. 217 की 0.40 है0 अराजीयात स्थित होना बताकर आपस में मिली होकर एक चक के रूप में प्रार्थी काष्त कर रहा है। उक्त वर्णित आराजी को प्रार्थी दक्षिणी दिषा से उजाड़ नदी से सिंचाई करता है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजी को सिंचाई करने तथा सिंचाई हेतु विधुत मोटर, डीजल पम्प जनरेटर व अन्य सामान ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी क्र.1 के एकल खाते की ग्राम कुराडियाकलां की खसरा नम्बर 258 की 0.45 है0 तथा ख. न. 260 की 0.36 है0 कृषि भूमियों में होकर जाना पड़ता है। तथा प्रार्थी उक्त भूमि में होकर हमेषा से आ जा रहा है। तथा भविष्य में भी दोनो पक्षों की कही पीढियों में कोई विवाद नही हो। दोनो पक्षो के परिवार में सम्बन्ध मधुर बने रहे। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 215 तक नदी से 4 मीटर चाड़ाई में रास्ते के रूप में काम आने वाली अप्रार्थी नं01 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 258 एवं 260 में राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। अप्रार्थी न. 1 की जितनी भूमि रास्ते के रूप में 4 मीटर की चौडाई में नदी से खसरा नम्बर 215 के खेत तक बनती है, उतनी भूमि प्रार्थी अपने खेत में से अप्रार्थी नं0 1 की सुविधानुसार अप्रार्थी के खाते दर्ज करवाने को तत्पर है जो अप्रार्थी कम 1 की भूमि के प्रतिकर के रूप में होगी। प्रार्थी के पास इसके अतिरिक्त कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। इन तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी कम 1 की तलबी की गई, इस दौरान अप्रार्थी कम 1 दीप सिंह की मृत्यु होने से उसके कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी के मात्र एक पुत्र करण सिंह को पक्षकार बनाया गया उसकी तरफ से वकील सत्येन्द्र कुमार गुप्ता ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के सम्पूर्ण तथ्यों को स्वीकार कर केवल यह निवेदन किया कि मेरे खाते की जितनी भूमि रास्ते के काम में आ रही है उसको रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे व उतनी भूमि प्रार्थी के खाते की भूमि से अप्रार्थी के खाते दर्ज की जावे। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

कोई विवाद बिन्दू शेष नही रहता है। दोनों पक्षों ने निवेदन किया की प्राथमिक रूप से प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुये तहसीलदार सांगोद से दोनो पक्षों की उपस्थिति में मोके की रिपोर्ट अनुसार दोनो पक्षो की कोन से खसरा नम्बर से कितनी भूमि रास्ते के रूप में जा रही है व कितनी भूमि किस खसरा नम्बर से प्रार्थी के खाते से अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज की जावें, इस बाबत रिपोर्ट मंगवाई जाकर रिपोर्ट अनुसार पालना की जाना न्याय हित में उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेष किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थी के खाते की 4 मीटर की चौडाई में आराजी रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं प्रार्थी के खाते की आराजी अप्रार्थी के खाते दर्ज किये जाने के आदेष दिये जाकर तहसीलदार सांगोद को आदेष दिया जाता है कि मोके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में रकबा निकाल कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु मोके रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

हस्ताक्षर

उपखंड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Dagar
Date: 2023.01.19 10:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
सांगोद